



सत्यमेव जयते

लेखे एक नजर में 2022-23



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार



लेखे एक नजर में वर्ष 2022-23

प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड
(लेखा एवं हकदारी)



झारखण्ड सरकार

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए बनाये और जाँचे गये हैं।

वार्षिक लेखे-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अधीन लेखे का संक्षिप्त विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदानवार व्यय को दर्ज किया जाता है एवं वास्तविक व्यय तथा उपलब्ध कराये गये निधियों के बीच अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक नजर में' सरकारी क्रियाकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित है। ये सूचना संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के द्वारा दर्शाया गया है।

हमें उन परामर्शों की अपेक्षा है, जो हमारे प्रकाशन के सुधार में सहायक सिद्ध हो।

स्थान : राँची
दिनांक : 24.11.2023



(राज कुमार अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.)

हमारा दृष्टि, उद्देश्य एवं बुनियादी मूल्य

दृष्टि

(एक द्रष्टा के रूप में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान इस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षाओं में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाकर विश्वनायक एवं पहलकर्ता की अपनी पहचान बनाने में जी जान से जुटे हैं एवं प्रशासन के क्षेत्र में स्वतंत्र विश्वसनीयता, संतुलित एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए हमें जाना जाता है।

भारतीय संविधान के अनिवार्यताओं के अनुसार, हम उच्च स्तरीय लेखापरीक्षा तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता व श्रेष्ठ प्रशासन को प्रोन्नत करते हैं एवं अपने भागीदारों, विधायिका, कार्यपालिका को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधि का उपयोग प्रभावी तरीके से यथोचित उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा है।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य अपनी वर्तमान भूमिका एवं वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं का निरूपण करना है।

बुनियादी मूल्य

हमारे बुनियादी मूल्य सभी के मार्गदर्शन हेतु आलोकित करना है जिसे हम पूरा करते हैं तथा यही मूल्य हमारे प्रदर्शन के आकलन के लिए निर्धारित मानदण्ड है।

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखण्डता
- विश्वसनीयता
- विशिष्ट दक्षता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय-सूची

अध्याय-1		पृष्ठ
विहंगावलोकन		
1.1	भूमिका	7
1.2	लेखे की संरचना	8
1.2.1	सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं	8
1.2.2	लेखा संकलन	9
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	10
1.3.1	वित्त लेखे	10-12
1.3.2	विनियोग लेखे	12
1.3.3	बजट अनुमानों की कार्य कुशलता	12
1.4	निधियों के स्रोत तथा उपयोग	12
1.4.1	अर्थोपाय अग्रिम	12
1.4.2	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	12
1.4.3	निधि प्रवाह विवरणी (निधियों के स्रोत तथा उपयोग)	12-13
1.4.4	रूपये कहाँ से आए	14
1.4.5	रूपये कहाँ गए	14
1.5	लेखे की विशिष्टता	15-16
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005	17
1.6.1	राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति	18
1.6.2	राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति	18
1.6.3	उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात	19
अध्याय-2		
प्राप्तियाँ		
2.1	भूमिका	20
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	20-21
2.2.1	राजस्व प्राप्तियों का घटक	21
2.2.2	राजस्व प्राप्तियों का रूझान	21-22
2.3	कर राजस्व	22-23
2.3.1	राज्य की स्व कर राजस्व एवं संघीय करों में राज्य का अंश संग्रहण का प्रदर्शन ...	23-24
2.3.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण का रूझान	24
2.4	कर संग्रहण की दक्षता	25
2.5	विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृत्ति	26
2.6	सहायक अनुदान	26-27
2.7	लोक ऋण	28

		पृष्ठ
अध्याय-3 व्यय		
3.1	भूमिका	29
3.2	राजस्व व्यय	30
3.2.1	राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण	31
3.2.2	राजस्व व्यय के मुख्य घटक	32
3.3	पूँजीगत व्यय	32
3.3.1	पूँजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	33
3.3.2	पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण	33
3.4	लेखांकन मानकों का अनुपालन	33
अध्याय-4 राज्य स्कीम (सी.ए.एस.सी. एवं सी.एस.एस. सहित) एवं स्थापना व्यय		
4.1	व्यय का वितरण	34
4.2	योजना व्यय	34-35
4.2.1	पूँजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय	35
4.2.2	ऋणों एवं अग्रिमों पर योजना व्यय	35
4.3	स्थापना व्यय	36
4.4	वचनबद्ध व्यय	36-37
अध्याय-5 विनियोग लेखे		
5.1	विनियोग लेखे का सारांश	38
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति	38
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	39-40
अध्याय-6 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व		
6.1	परिसम्पत्तियाँ	41
6.2	ऋण एवं दायित्व	42
6.3	निवेश एवं वापसियाँ	43
6.4	राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम	43
6.5	प्रत्याभूति	43
अध्याय-7 अन्य मदें		
7.1	आन्तरिक ऋण के अधीन शेष	44
7.2	स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता	44
7.3	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का मिलान	44
7.4	लेखे का पुनर्मिलान	45
7.5	कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण	45
7.6	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	45
7.7	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.) ..	46
7.8	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता	46
7.9	व्यय की तीव्रता	46-47

अध्याय – 1

विहंगावलोकन

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों को संकलित, वर्गीकृत एवं समेकित करता है तथा झारखण्ड सरकार के लेखाओं को तैयार करता है। यह संकलन जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्यो, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों, वन प्रमंडलों, अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं पर आधारित है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रत्येक माह झारखण्ड सरकार को मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत किया जाता है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों एवं सरकार के व्यय की गुणवत्ता पर त्रैमासिक अनुशंसा नोट भी प्रस्तुत करता है। वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

सरकार के लेखे की संरचना

भाग – 1 समेकित निधि

कर एवं गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों, उठाये गए ऋण एवं दिये गये ऋणों (ब्याज सहित) की अदायगी समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) सहित सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण को इस कोष से वहन किया जाता है।

आकस्मिक निधि अग्रदाय स्वरूप की है, जैसे अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। तदोपरान्त इस निधि से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है। झारखण्ड सरकार के लिए इस कोष की राशि ₹ 500.00 करोड़ है।


भाग – 2 आकस्मिक निधि

भाग – 3 लोक लेखे

इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण तथा उचित लेनदेन शामिल है। ऋण एवं जमा सरकार की देयता के पुनर्भुगतान को इंगित करता है। पेशगियां सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण एवं उचित लेनदेन समायोज्य प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकन द्वारा उत्तरोत्तर समाशोधित किया जाता है।

1.2.2 लेखा संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख



1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

लेखे में दर्ज शेषों के आधार पर राजस्व और पूंजी लेखे, लोक ऋण के लेखे एवं दायित्वों तथा सम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वित्त लेखे प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे को अधिक व्यापक एवं सूचनात्मक बनाने हेतु इसे दो खण्डों में बनाया गया है। वित्त लेखे के खण्ड-I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का रिपोर्ट, सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरण समाहित है तथा 'वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ', जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मदें शामिल हैं। खण्ड-II में विस्तृत (भाग-I) तथा परिशिष्टों (भाग-II) को शामिल किया जाता है।

झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों, जैसा कि वित्त लेखे, 2022-23 में अंकित है, को नीचे दर्शाया गया है –


वर्ष 2022-23 में प्राप्तियाँ और व्यय

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ		84,909
	राजस्व	कर राजस्व	56,522
		करेतर राजस्व	12,830
		सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,894
		राजस्व प्राप्तियाँ	80,246
	पूंजी	कर्ज एवं पेशगियों की वसूली	46
		उधार एवं अन्य दायित्व (*)	4,617
		विविध पूंजी प्राप्तियाँ	0
		पूंजी प्राप्तियाँ	4,663
	संवितरण	कुल संवितरण	
राजस्व		66,682	
पूंजी		14,016	
कर्ज एवं पेशगियाँ		4,211	

(*) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) ± निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

वर्ष 2022-23 की प्राप्तियाँ व संवितरण



(*) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) ± निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

केन्द्र सरकार, राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/ गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक निधियों का हस्तांतरण करती है। इस वर्ष, भारत सरकार ने ₹ 3,699 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से विमुक्त किया। चूँकि इन निधियों का उल्लेख राज्य के बजट में नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार के लेखे में ये निधियाँ प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं। वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड – II के परिशिष्ट – VI में इन अंतरणों को दर्शाया गया है।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के तहत विधायिका द्वारा अधिकृत किये बिना सरकार किसी भी प्रकार का खर्च नहीं कर सकती है। कुछ निर्दिष्ट खर्चों को छोड़कर, जो संविधान के समेकित निधि पर प्रभारित हैं, अर्थात् विधायिका के वोट के बगैर खर्च किये जा सकते हैं, अन्य सभी खर्च 'पारित' होते हैं। झारखण्ड सरकार के बजट में 05 प्रभारित विनियोग, 54 दत्तमत अनुदान तथा 01 दत्तमत एवं प्रभारित मिश्रित अनुदान हैं। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग के साथ संकलित वास्तविक व्यय किस सीमा तक है।

1.3.3 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अंत में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के विरुद्ध झारखण्ड सरकार का वास्तविक व्यय, ₹ 24,650 करोड़ (अनुदान का 21 प्रतिशत) के निवल बचत को दर्शाता है एवं व्यय की कमी पर ₹ 326 करोड़ (अनुदान का 32 प्रतिशत) का कम आकलन किया गया।

1.4 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख-रखाव में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष कायम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम लेती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने साधारण/विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ प्राप्त नहीं किया।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख-रखाव हेतु लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के बाद भी यदि न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 0.45 करोड़ से कम हो जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने किसी ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का सहारा नहीं लिया है।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणी


31 मार्च 2023 तक राज्य के पास ₹ 13,564 करोड़ का राजस्व लाभ एवं ₹ 4,617 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटे को लोक ऋण (₹ 2,413 करोड़), से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 80,246 करोड़) का लगभग 37 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे वेतन (₹ 14,903 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 6,738 करोड़) एवं पेंशन (₹ 7,803 करोड़) पर व्यय किया गया।

निधियों के स्रोत तथा उपयोग


(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि	
स्रोत	01.04.2022 को अथ रोकड़ शेष	149	
	राजस्व प्राप्तियाँ	80,245	
	विविध पूंजी प्राप्तियाँ	0	
	कर्ज एवं अग्रिम की वसूली	46	
	लोक ऋण	9,142	
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	1,399	
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियां	862	
	जमा प्राप्ति	20,455	
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	816	
	उचंत लेखा	1,82,584	
	प्रेषण	9,397	
	कुल	3,05,095	
	उपयोग	राजस्व व्यय	66,682
		पूंजी व्यय	14,016
दिए गए कर्जे		4,211	
लोक ऋण का पुनर्भुगतान		6,729	
लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य		1,382	
आरक्षित एवं निक्षेप निधियां		1,670	
खर्च किए गए जमा		17,109	
दिए गए सिविल अग्रिम		814	
उचंत लेखा		1,82,958	
प्रेषण		9,433	
31.03.2023 का अन्त रोकड़ शेष		91	
कुल		3,05,095	

1.4.4 रुपये कहाँ से आए



1.4.5 रुपये कहाँ गए



1.5 लेखे की विशिष्टता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		ब.प्रा. 2022-23	वास्तविकी 2022-23	वास्तविकी ब.प्रा. की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. (#) की वास्तविकी से प्रतिशतता
1.	कर राजस्व (a)	51,857	56,522	109	15
2.	करेतर राजस्व	13,763	12,830	93	3
3.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	17,406	10,894	63	3
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	83,026	80,246	97	21
5.	विविध पूंजी प्राप्ति	--	0	--	0
6.	कर्जे एवं अग्रिमों की वसूली	76	46	61	0
7.	उधार एवं अन्य दायित्व (b)	18,000	4,617	26	1
8.	पूंजी प्राप्तियाँ (5+6+7)	18,076	4,663	26	1
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,01,102	84,909	84	22
10.	स्थापना व्यय (*)	37,032	34,483	93	9
11.	राजस्व लेखा पर स्थापना व्यय	37,032	34,329	93	9
12.	10 में से ब्याज भुगतान पर स्थापना व्यय	6,662	6,738	101	2
13.	पूंजी लेखा पर स्थापना व्यय	0	153	--	0
14.	योजना व्यय (c)	55,847	50,426	90	13
15.	राजस्व लेखा पर योजना व्यय	39,241	32,353	82	8
16.	पूंजी लेखा पर योजना व्यय	16,606	18,074	109	5
17.	कुल व्यय (10+14)	92,879	84,909	91	22
18.	राजस्व व्यय (11+15)	76,273	66,682	87	17
19.	पूंजी व्यय (13+16) (d)	16,606	18,227	110	5
20.	राजस्व अधिशेष (4-18)	6,753	13,564	201	4
21.	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	9,777	4,617	47	1

(a) संघीय करों में राज्य का हिस्सा का ब.प्रा. तथा वास्तविकी क्रमशः ₹ 27,007 करोड़ तथा ₹ 31,404 करोड़ सम्मिलित है।

(b) वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 3,81,125 करोड़ का सकल राज्य घरेलु उत्पाद, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।

(c) पूंजी लेखा पर व्यय में पूंजी व्यय (₹ 14,016 करोड़) एवं संवितरित कर्जे तथा अग्रिमों (₹ 4,211 करोड़) सम्मिलित है।

(d) पूंजी अनुभाग के अंतर्गत स्थापना के अधीन ₹ 153 करोड़ एवं राज्य योजना के अधीन ₹ 4,058 करोड़ का व्यय सम्मिलित है, जो कर्जे एवं अग्रिमों से संबंधित है।

(e) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) ± निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष।

वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 13,564 करोड़ (2021-22 में ₹ 6,944 अधिशेष) एवं राजकोषीय घाटा ₹ 4,617 करोड़ (2021-22 में ₹ 2,604 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 5 प्रतिशत है।

घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?

घाटा

राजस्व एवं व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है, घाटों के प्रकार, घाटा कैसे सम्पोषित हुआ तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचकांक है।

राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान स्थापना के रख-रखाव के लिए आवश्यक है तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से ही उसे पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।

राजस्व घाटा/ अधिशेष

राजकोषीय घाटा/ अधिशेष

कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। इसलिए यह अन्तर उधारों द्वारा व्यय को किस सीमा तक सम्पोषित किया गया है, सूचित करता है। आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ. आर. बी. एम.) अधिनियम, 2005

झारखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय अधिनियमों के तहत निर्धारित नियमों के तहत प्राप्तियाँ इस प्रकार थीं :-

क्र.स.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व अधिशेष	13,564 (अधिशेष)	\$	लक्ष्य प्राप्त किया गया
2	राजकोषीय घाटा	4,617	3 प्रतिशत या कम	1.21 (लक्ष्य प्राप्त हुआ)
3	ऋण एवं अन्य दायित्व	1,18,448		
4	बकाया प्रत्याभूति	4,998		

स्रोत :

* वर्ष 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आँकड़ा (₹ 3,81,125 करोड़), जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।


§ राजस्व घाटा 2011-12 से घटा कर शून्य करना।

राज्य सरकार ने झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत विधायिका के लिए आवश्यक उद्घोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किया।

राज्य सरकार के पास 2021-22 में ₹ 6,944 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं 2022-23 के दौरान ₹ 13,564 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। यद्यपि, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के परिकलन में मत भिन्नता है। राज्य सरकार के आकलन के दौरान स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटे के अनुपात खर्च 2018-23 में 4.67 प्रतिशत एवं 0.71 प्रतिशत की सीमा के बीच था।


1.6.1 राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति

राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति



1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति

राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति




1.6.3 उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात –

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2018-19	7,803	12,198
2019-20	9,593	10,044
2020-21	13,547	11,846
2021-22	9,840	10,839
2022-23	9,142	18,227

उधार निधि एवं पूंजीगत व्यय



सरकार आम तौर पर राजकोषीय घाटे एवं उधार निधियों का उपयोग पूंजी/परिसंपत्तियों के सृजन हेतु या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए करता है ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियां एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सकें। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उधार ली गई निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाए तथा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्व प्राप्तियों का उपयोग हो। यद्यपि, राज्य सरकार 199 प्रतिशत चालू वर्ष में अपने पूंजीगत व्यय (₹ 18,227 करोड़) के लिए उधारों से (₹ 9,142 करोड़) संपोषित किया।

अध्याय – 2

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को दो भागों यथा राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 84,909 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों को तीन घटकों में समावेश किया जाता है, जैसे : कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा संघीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान।

कर राजस्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन संघीय करों में राज्य का हिस्सा से संबंधित करों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहण करना एवं रखना शामिल है।


ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल हैं।

करेत्तर राजस्व

सहायक अनुदान

अनिवार्यतः संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली वाह्य अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा—पंचायती राज संस्थान, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है।

राजस्व प्राप्तियाँ



राजस्व कर



करेतर राजस्व



सहायक अनुदान एवं
अंशदान

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों का घटक (2022-23)

घटक		वास्तविकी	राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
क.	कर राजस्व	56,522	70
	वस्तु एवं सेवा कर	20,248	25
	आय तथा व्यय पर कर	20,853	26
	सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	2,665	3
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर वस्तु एवं सेवा कर के अलावे	12,756	16
ख.	करेतर राजस्व	12,830	16
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	282	0
	सामान्य सेवायें	1,305	2
	सामाजिक सेवायें	364	0
	आर्थिक सेवायें	10,879	14
ग.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	10,894	14
कुल राजस्व प्राप्तियाँ		80,246	100

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रुझान


	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कर राजस्व	38,658 (13)	37,364 (11)	36,592 (12)	49,024 (13)	56,522 (15)
करेतर राजस्व	8,258 (3)	8,750 (3)	7,564 (2)	10,031 (3)	12,830 (3)
सहायक अनुदान	9,236 (3)	12,303 (4)	11,993 (4)	10,667 (3)	10,894 (3)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	56,152 (20)	58,417 (17)	56,149 (18)	69,722 (19)	80,246 (21)
स.रा.घ.उ.	2,86,598	3,43,126	3,18,117	3,63,085	3,81,125*

* ₹ 3,81,125 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में आँकड़े स.रा.घ.उ., जो कि पूर्णांकित आँकड़े के रूप में हैं, की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व संग्रह में वृद्धि, वर्ष 2021-22 की तुलना में 15 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के बीच स.रा.घ.उ. में वृद्धि 5 प्रतिशत ही था। कर राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा करेतर राजस्व में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगम कर (₹ 10,529 करोड़), अलौह खनन तथा धतुकर्म उद्योग (₹ 10,036 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 6,270 करोड़), एवं आय पर निगम कर से भिन्न कर (₹ 10,279 करोड़) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संग्रह किया गया। निश्चित कर घटकों राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 11,374 करोड़) राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 2,057 करोड़) एवं संघ-उत्पाद शुल्क (₹ 387 करोड़) के अन्तर्गत राज्य का स्व राजस्व उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है।

राजस्व प्राप्तियों का रुझान




2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार राजस्व प्राप्तियाँ					
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वस्तु तथा सेवा कर	14,572	14,261	13,794	17,925	20,248
आय तथा व्यय पर कर	14,558	12,607	12,111	15,878	20,853
सम्पति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	843	899	1,581	2,610	2,665
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	8,685	9,597	9,106	12,611	12,756
कुल कर राजस्व	38,658	37,364	36,592	49,024	56,522


वर्ष 2022-23 के दौरान सकल कर राजस्व में बढ़ोत्तरी मुख्यतः भारत सरकार से राज्यांश प्राप्त होने एवं निगम कर (₹ 10,529 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 10,279 करोड़), राज्य वस्तु तथा सेवा कर (₹ 11,374 करोड़), अलौह खनन तथा धातुकर्म (₹ 10,036 करोड़), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 8,874 करोड़) के कारण है।

स.रा.घ.उ. के अनुपात में मुख्य करों की प्रवृत्ति



2.3.1 राज्य की स्व कर राजस्व एवं संघीय करों में राज्य का हिस्सा

कर राजस्व दो स्रोतों से राज्य की स्व कर एवं संघीय करों का हस्तांतरण से राज्य सरकार को प्राप्त होता है।



निम्न तालिका में विगत पाँच वर्षों के दौरान कर संग्रह के दो स्रोतों को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य का स्व कर संग्रह	14,752	16,771	16,880	21,290	25,118
संघीय करों का हस्तांतरण	23,906	20,593	19,712	27,735	31,404
कुल कर राजस्व	38,658	37,364	36,592	49,025	56,522
कुल कर संग्रह में राज्य का स्व कर का प्रतिशतता	38	45	46	46	44

सकल राजस्व के अनुपात में राज्य का स्व कर संग्रहण वर्ष 2018-19 से बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। वर्ष 2018-19 की तुलना में राज्य का स्व कर राजस्व में 6 प्रतिशत की वृद्धि है।

2.3.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के स्व कर संग्रहण का रुझान

(₹ करोड़ में)

कर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,475	3,996	4,301	5,213	6,270
राज्य वस्तु तथा सेवा कर	8,201	8,418	7,931	9,557	11,374
राज्य उत्पाद शुल्क	1,083	2,009	1,821	1,807	2,057
वाहनों पर कर	864	1,129	976	1,263	1,574
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	451	560	708	987	1,108
विद्युत पर कर एवं शुल्क	209	236	195	792	1,132
भूमि राजस्व	389	338	873	1,621	1,557
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य कर	80	85	75	49	46
कुल राज्य का स्व कर	14,752	16,771	16,880	21,289	25,118

2.4 कर संग्रहण की दक्षता

(₹ करोड़ में)

कर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	3,475	3,996	4,301	5,213	6,270
संग्रहण पर व्यय	83	80	83	71	117
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	2.38	2.00	1.93	1.36	1.87
2. राज्य उत्पाद कर					
राजस्व वसूली	1,083	2,009	1,821	1,807	2,057
संग्रहण पर व्यय	22	31	29	27	72
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	2.03	1.54	1.59	1.49	3.50
3. वाहन, माल एवं यात्री कर					
राजस्व वसूली	864	1,129	976	1,263	1574
संग्रहण पर व्यय	8	7	18	8	20
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	0.93	0.62	1.84	1	1.27
4. स्टाम्प एवं पंजीकरण कर					
राजस्व वसूली	451	560	708	987	1108
संग्रहण पर व्यय	22	25	16	16	20
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	4.88	4.46	2.26	1.62	1.81

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, राज्य उत्पाद कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का वर्णन	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
निगम कर	8,313	7,021	5,944	7,139	10,529
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,122	5,502	6,093	8,693	10,279
धन कर	3.05	0.32	0.00	2	0.00
सीमा शुल्क	1,694	1,305	1,051	2,060	1,234
संघ उत्पाद शुल्क	1,126	908	663	1,089	387
सेवा कर	220	0.00	84	356	49
एकीकृत माल एवं सेवा कर	471	0.00	0.00	0.00	0.00
केंद्रीय माल एवं सेवा कर	5,900	5,844	5,863	8,367	8,874
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	12.34	13.04	14	29	52
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	23,906	20,593	19,712	27,735	31,404
कुल कर राजस्व	38,658	37,364	36,592	49,024	56,522
कुल कर राजस्व की संघीय करों की प्रतिशतता	62	55	54	57	56

2.6 सहायक अनुदान


सहाय्यतार्थ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान सम्मिलित है। 2022-23 के दौरान सहाय्यतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 10,894 करोड़ नीचे दर्शाया गया हैं—

सहायक अनुदान



भारत सरकार से गैर-योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से राज्यों को सहायता अनुदान को छोड़ दिया गया है। योजनाओं के लिए सहायता अनुदान का हिस्सा (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग के अनुदान एवं अन्य अंतरण/राज्यों को अनुदान) वर्ष 2017-18 में प्राप्त सहायता अनुदान की तुलना में 2019-20 में 8 प्रतिशत की वृद्धि, 2020-21 में 5 प्रतिशत की वृद्धि, 2021-22 में 7 प्रतिशत की कमी तथा वर्ष 2022-23 में 5 प्रतिशत की कमी हुई। सहायक अनुदान का बजट अनुमान ₹ 17,406 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा वास्तव में ₹ 10,894 करोड़ सहायता अनुदान (बजट अनुमान का 62.59 प्रतिशत) के रूप में प्राप्त हुआ।

सहायक अनुदान का रुझान




2.7 लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आन्तरिक ऋण	7,530	9,167	10,958	6,594	5,515
केन्द्रीय कर्ज	273	426	2,588	3,246	3,627
कुल लोक ऋण	7,803	9,593	13,546	9,840	9,142



वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 4,000 करोड़ ऋण 7.58 प्रतिशत से 7.86 प्रतिशत की ब्याज की दर से, खुला बाजार से चार ऋण उठाए गए थे, जो वर्ष 2030-37 तक प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 1,515 करोड़ उठाये। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 5,515 करोड़ लिया गया। सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 3,627 करोड़ प्राप्त हुआ।

अध्याय – 3

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग किसी संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों में कमी के लिए किया जाता है। व्यय को अग्रेतर राज्य स्कीम एवं स्थापना व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएँ

न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल है।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल पूर्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण इत्यादि शामिल है।

सामाजिक सेवाएँ

आर्थिक सेवाएँ

कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल है।

3.2 राजस्व व्यय

विगत पाँचों वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन के विरुद्ध व्यय में हास/आधिक्य को नीचे दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बजट प्राक्कलन	62,745	65,803	73,316	75,755	76,273
वास्तविकी	50,631	56,457	59,264	62,778	66,682
अन्तर (-) बचत / (+) आधिक्य	(-)12,114	(-)9,346	(-)14,052	(-)12,977	(-)9,591
बजट प्राक्कलन के ऊपर अन्तर की प्रतिशतता	(-)19	(-)14	(-)19	(-)17	(-)13

कुल राजस्व व्यय का लगभग 50 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन एवं मजदूरी (₹ 14,903 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 6,738 करोड़), पेंशन (₹ 7,803 करोड़) एवं सबसिडी (₹ 4,087 करोड़) पर खर्च किया गया, जो कि राज्य सरकार के प्रतिबद्ध दायित्व थे।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल राजस्व व्यय	50,631	56,457	59,264	62,778	66,682
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	25,073	28,420	28,680	33,732	33,531
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	50	50	48	54	50
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	25,558	28,037	30,584	29,046	33,151

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज, पेंशन एवं सबसिडी भुगतान पर किया खर्च सम्मिलित है।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय, वर्ष 2018-19 में ₹ 50,631 करोड़ से वर्ष 2022-23 में ₹ 66,682 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


3.2.1 राजस्व व्यय (2022-23) का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

संघटक	राशि	प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	904	1.36
ख. राजकोषीय सेवायें		
(i) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	521	0.78
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	211	0.32
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	2	0.00
ग. ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण शोधन कार्य	6,738	10.10
घ. प्रशासनिक सेवायें	7,077	10.61
च. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	7,808	11.71
छ. सामाजिक सेवायें	27,640	41.45
ज. आर्थिक सेवायें	15,781	23.67
झ. सहायक अनुदान एवं अंशदान
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	66,682	100.00



3.2.2 राजस्व व्यय (2018-19 से 2022-23) के मुख्य घटक



3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वर्ष 2022-23 में ₹ 18,226 करोड़ के पूंजीगत व्यय (जी.एस.डी.पी. का 5 प्रतिशत) बजट अनुमानों से ₹ 1,620 करोड़ अधिक था (अधिक व्यय ₹ 153 करोड़ स्थापना व्यय के अधीन एवं ₹ 1,467 करोड़ अधिक व्यय राज्य स्कीम के अधीन)। वर्ष 2018-19 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानान्तर वृद्धि नहीं की, जैसा कि नीचे सारणी से प्रतीत होता है।

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	बजट अनुमान	12,306	13,876	8,653	9,661	16,606
2	वास्तविक व्यय (#)	12,198	10,044	11,846	10,839	18,226
3	बजट अनुमानों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	99	72	137	112	110
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	(-)12	(-)18	18	(-)8	68
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,86,598	3,43,126	3,18,117	3,63,085	3,81,125
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	12	20	(-)7	(+)14	(+)5

(#) इसमें ऋणों एवं अग्रिमों का व्यय सम्मिलित है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार के द्वारा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 624 करोड़, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ₹ 848 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास योजना पर ₹ 2,220 करोड़ तथा सड़क एवं सेतु पर ₹ 3,353 करोड़ खर्च किया गया।

3.3.2 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण

विगत पाँच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रावार विवरण निम्न दिखाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

खण्ड		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएँ	पूँजी	791	1,239	771	734	873
	राजस्व	17,656	18,714	19,903	21,555	23,261
सामाजिक सेवाएँ	पूँजी	1,615	1,430	1,491	1,595	5,221
	राजस्व	18,786	21,448	23,347	24,640	27,640
आर्थिक सेवाएँ	पूँजी	8,305	7,209	6,203	7,047	7,922
	राजस्व	14,189	16,294	16,014	16,583	15,781
सहायता अनुदान	पूँजी	--	--	--	3	2,140
	राजस्व	17,976	19,191	20,078	19,627	20,054


3.4 लेखांकन मानकों का अनुपालन

- (i) **सरकार द्वारा दी गई गारंटी (आईजीएस-1) :** झारखंड सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा कर्जों पर राज्य सरकार की गारंटी को विनियमित करने के लिए कोई नियम/नीति नहीं बनाई थी। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निकायों, जिन्हें गारंटी दी गई थी, पर कोई गारंटी कमीशन न ही भारत किया गया और न ही उनसे वसूल किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, गारंटियों में ₹ 776.00 करोड़ की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2023 को राज्य द्वारा दी गई बकाया गारंटी ₹ 4,998.38 करोड़ थी।
- (ii) **सहायक अनुदान का लेखा वर्गीकरण (आईजीएस-2) :** वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने पूंजीगत परिव्यय से ₹ 2,140.01 करोड़ सहायक अनुदान दिया है।
- (iii) **सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम :** ₹ 3,707.08 करोड़ के कर्जों (जिसका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संधारित किया जाता है), जिसमें तीन (3) विभाग शामिल हैं, का मूलधन एवं ब्याज की वसूली केवल 2021-22 के दौरान तथा ₹ 1,427.12 करोड़ के ऐसे कर्जों, जो 10 वर्षों से अधिक पुराने थे, को छोड़कर विगत कई वर्षों के दौरान प्रभावित नहीं हुई है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा ऋण की स्वीकृति देने वाले विभागों को ऋण शेषों (जिसका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार द्वारा संधारित किया जाता है) के सत्यापन एवं स्वीकार्यता के लिये प्रतिवर्ष सूचित किया जाता है। कोई भी ऋणी द्वारा शेषों की सम्पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा मुख्यालय द्वारा निर्धारित आईजीएस-1, 2 एवं 3 पर जानकारी/सूचनाओं को व्यक्त करने वाला मानक प्रारूप वित्त लेखे के खण्ड-I एवं खण्ड-II के प्रसंगिक विवरणों में अपनाया गया है।

अध्याय – 4

राज्य स्कीम (सी.ए.एस.सी. एवं सी. एस.एस. सहित) एवं स्थापना व्यय


4.1 व्यय का वितरण (2022-23)



4.2 योजना व्यय

वर्ष 2022-23 के दौरान, योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत दोनों) के अंतर्गत ₹ 50,426 करोड़ था, जो कि कुल संवितरण ₹ 84,909 करोड़ का 59 प्रतिशत को इंगित करता है। इसमें ₹ 36,909 करोड़ राज्य योजना के अधीन, ₹ 9,459 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना के अधीन तथा ₹ 4,058 करोड़ कर्ज एवं अग्रिम के अधीन था।

कुल व्यय एवं स.रा.घ.उ. के अनुपात में योजना व्यय



वर्ष 2022-23 में राजस्व अनुभाग के अधीन योजना व्यय ₹ 32,353 करोड़, जो कि वर्ष 2021-22 में ₹ 32,160 करोड़ से 01 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत खण्ड में व्यय ₹ 18,073 करोड़, जो कि वर्ष 2021-22 के ₹ 10,789 करोड़ से 68 प्रतिशत अधिक है। योजना व्यय में केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रीय सेक्टर योजना (राजस्व: ₹ 8,963 करोड़ एवं पूंजीगत: ₹ 496 करोड़) का हिस्सा वर्ष 2021-22 में ₹ 8,184 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 8,963 करोड़ हो गया।

4.2.1 पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल पूंजी व्यय	12,198	10,044	11,845	10,839	18,226
कुल पूंजी व्यय (स्कीम)	12,083	9,945	11,749	10,789	18,073
कुल पूंजी व्यय का पूंजी व्यय (स्कीम) की प्रतिशतता	99	99	99	99	99

4.2.2 ऋणों एवं अग्रिमों पर योजना व्यय


ऋण एवं अग्रिम पर महत्वपूर्ण व्यय निम्न थे:

मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देश्य
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	4,058	विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज
कुल	4,058	

4.3 स्थापना व्यय

कुल व्यय एवं स.रा.घ.उ. के अनुपात में स्थापना व्यय


वर्ष 2022-23 के दौरान स्थापना व्यय (₹ 34,330 करोड़ राजस्व के अधीन एवं ₹ 153 करोड़ पूंजी के अधीन) ₹ 34,483 करोड़ था, जो कुल संवितरण ₹ 84,909 करोड़ का 41 प्रतिशत को इंगित करता है।



4.4 वचनबद्ध व्यय

वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान में पूर्व के वर्षों के मुकाबले वृद्धि हुई, जो मुख्यतः वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण के कारण हुई है।

वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति



विगत पाँच वर्षों का राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का तुलनात्मक वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति –

(₹ करोड़ में)

संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वचनबद्ध व्यय	25,073	28,420	28,680	33,732	33,530
राजस्व व्यय	50,631	56,457	59,264	62,778	66,682
राजस्व प्राप्तियाँ	56,152	58,417	56,150	69,722	80,246
राजस्व प्राप्तियाँ का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	45	49	51	48	42
राजस्व व्यय का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	50	50	48	54	50

वचनबद्ध व्यय में वर्ष 2018-19 से 2022-23 में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में इसी अवधि के दौरान 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वचनबद्ध व्यय में अत्यधिक वृद्धि सरकार को विकासात्मक व्यय में कम लचीलापन लाने के लिए बाध्य करता है।

अध्याय – 5 विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निबल)	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	68,885	10,985	0	79,870	59,773	(-)20,097
	प्रभारित	7,388	36	0	7,424	6,908	(-)516
2.	पूंजी						
	दत्तमत	16,606	2,473	0	19,079	14,016	(-) 5,063
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	6,714	0	0	6,714	6,729	(+)15
4.	कर्ज एवं अग्रिम						
	दत्तमत	1,508	3,022	0	4,530	4,211	(-) 319
	कुल						
	दत्तमत	86,999	16,480	0	1,03,479	78,000	(-) 25,479
	प्रभारित	14,102	36	0	14,138	13,637	(-) 501

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / अधिक व्यय (+)				कुल
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्ज एवं अग्रिम	
2018-19	(-) 16,639	(-) 3,140	(-) 445	(-) 158	(-) 20,382
2019-20	(-) 17,109	(-) 4,799	(-) 23	(-) 1,740	(-) 23,671
2020-21	(-) 19,409	(-) 2,037	(-) 12	(-) 362	(-) 21,820
2021-22	(-) 19,225	(-) 2,197	(-) 113	(-) 981	(-) 22,516
2022-23	(-) 20,613	(-) 5,063	(+) 15	(-) 319	(-) 25,980

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत यह दर्शाता है कि किसी खास योजनाओं/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन नहीं किया गया या मन्द गति से कार्यान्वयन किया गया।

कुछ अनुदानों के निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचतें नीचे दिए गए हैं :-

अनुदान	नामकरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(प्रतिशत में)						
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	48	39	65	22	53
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	22	32	20	25	23
29	खनन एवं भू-तत्व विभाग	50	32	47	2	41
43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	21	22	57	61	35

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग), कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के अंतर्गत निरंतर बचत योजनाओं को क्रियान्वयन के समय कम प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बढ़े हुए बजट अनुमानों अथवा अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने की सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ मामलों में कुल ₹ 16,517 करोड़ (कुल व्यय का 19 प्रतिशत) का अनुपूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, वहीं वर्ष के अन्त में मूल आवंटन के विरुद्ध भी पर्याप्त बचत पाया गया। कुल मामले नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व	2,653	444	1,199
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व	2,490	237	1,448
39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व	1,509	262	855
42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	राजस्व	7,469	293	4,361

अनुदान सं०	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व	2,076	885	1,969
55	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	राजस्व	214	100	129
56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	राजस्व	2,009	727	1,765
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	राजस्व	2,299	72	2,060
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	राजस्व	8,450	387	7,593

अध्याय – 6

परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियाँ


वर्तमान लेखा पद्धति में अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के अतिरिक्त सरकारी परिसम्पत्तियों जैसे – भूमि, भवन इत्यादि के मूल्यांकन का चित्रण सहजतापूर्वक नहीं होता है। इसी प्रकार लेखे जहाँ चालू वर्ष में प्रकट होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है वहीं ब्याज की दर तथा ऋण की वर्तमान अवधि द्वारा सीमित सीमा तक दर्शाये जाने के अतिरिक्त आनेवाली पीढ़ियों के लिए दायित्वों के सम्पूर्ण प्रभाव का चित्रण नहीं होता है।

वर्ष 2022-23 के अंत में गैर-वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू.) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 2,483.36 करोड़ था। 2022-23 के दौरान निवेश में ₹ 233.14 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन लाभांश आय शून्य थी।

31 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक का नगदी शेष ₹ 149 करोड़ था, जो मार्च 2023 के अंत तक घटकर ₹ 91 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने 174 अवसरों पर, ₹ 1,82,722 करोड़ की राशि 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 1,82,053 करोड़ के मूल्य का 238 अवसरों पर पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश			
1 अप्रैल 2022 को शेष	2022-23 के दौरान खरीद	2022-23 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2023 को अन्तिम शेष
4,481	1,82,722	1,82,053	5,150



6.2 ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधान मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, उधार लेने की शक्तियाँ प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 के लिए यह सीमा ₹ 11,041 करोड़ था, इसके विरुद्ध झारखण्ड सरकार ने ₹ 4,000 करोड़ का बाजार ऋण लिया।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है:-


(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	लोक लेखा*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	कुल देयताएँ (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2018-19	60,775	21	23,008	8	83,783	29
2019-20	66,137	19	28,270	8	94,407	28
2020-21	76,939	24	32,246	10	1,09,185	34
2021-22	82,532	23	30,950	9	1,13,482	31
2022-23	84,944	22	33,504	9	1,18,448	31

* उच्चत तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर टिप्पणी : आँकड़ें वर्ष के अंत का प्रगामी शेष है।

वर्ष 2022-23 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से ₹ 4,966 करोड़ (4 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई।

सरकार के दायित्वों का रुझान



* ब्याज एवं ब्याज रहित दायित्व जैसे लोकल निधि में जमा, अन्य कर्णांकित निधि आदि।

6.3 निवेश एवं वापसियाँ

वर्ष 2022-23 के अन्त में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में पूंजीगत हिस्सा के रूप में कुल निवेश ₹ 2,483 करोड़ था। जबकि सांविधिक निगमों, ग्रामीणों बैंको, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में निवेश में ₹ 233 करोड़ की अभिवृद्धि हुई।

6.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2022-23 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 28,560 करोड़ था, इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्ज एवं पेशगियाँ ₹ 28,513 करोड़ था। 31 मार्च 2023 के अन्त तक मूलधन एवं ब्याज की वापसी के रूप में क्रमशः ₹ 1,896 करोड़ तथा ₹ 1,811 करोड़ का बकाया है।

6.5 प्रत्याभूति

सीधे ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बजट और वित्तीय संस्थान से सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा उठाए गए ऋणों की गारंटी दी है। इन गारंटी (प्रत्याभूति) को राज्य बजट से बाहर रखा गया है।

वर्ष के अन्त में	गारंटी की अधिकतम राशि* (मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया गारंटी	
		मूलधन	ब्याज
2018-19	---	607	---
2019-20	---	607	---
2020-21	---	607	---
2021-22	---	607	---
2022-23	---	4,498	---

*झारखण्ड सरकार द्वारा गारंटी से संबंधित कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है।

अध्याय – 7

अन्य मदें

7.1 आंतरिक ऋण के अधीन शेष

राज्य सरकारों का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा शासित होता है। लिए गए प्रत्यक्ष कर्जों के अतिरिक्त विभिन्न योजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों, जो राज्य बजट से बहिर्विष्ट होते हैं, का क्रियान्वयन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा उठाये गये कर्जों को भी राज्य सरकारें गारंटी देती हैं। इन कर्जों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के जैसा प्रतिपादित किया जाता है जो सरकार की पुस्तकों में प्रकट नहीं होता है। मार्च 2023 के आंतरिक ऋण के अधीन शेष ₹ 73,580 करोड़ था।

7.2 स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता

वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2021-22 में ₹ 19,630 करोड़ दिया गया, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹ 22,194 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को ₹ 2,730 करोड़ का अनुदान दिया गया, जो कुल अनुदान का 12 प्रतिशत था।

विगत तीन वर्षों में दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है –

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषदों	नगर पालिकाओं	पंचायत समितियों	अन्य	कुल
2020-21	1,771	1,930	0.00	16,377	20,078
2021-22	773	1,042	0.00	17,815	19,630
2022-23	1,463	1,267	0.00	19,464	22,194

7.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

संघटक	1 अप्रैल 2022 को	31 मार्च 2023 को	निवल वृद्धि (+) / हास (-)
रोकड़ शेष	149	91	(-) 58
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार, कोषागार विपत्र)	4,481	5,149	(+) 668
ब्याज सिद्ध	59	91	(+) 32

7.4 लेखे का पुनर्मिलान

लेखों की सटीकता और विश्वसनीयता, अन्य बातों के अलावा विभागों के पास उपलब्ध आँकड़ों और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित खातों में प्रदर्शित होने वाले आँकड़ों के ससमय मिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 91,637.82 करोड़ का 96.27 प्रतिशत (₹ 88,223.42 करोड़) का मिलान किया गया। इसी प्रकार ₹ 89,433.93 करोड़ की कुल प्राप्ति में से 99.86 प्रतिशत (₹ 89,304.85 करोड़) का ऑनलाइन मिलान किया गया।

7.5 कोषागार द्वारा लेखे का प्रेषण

कोषागार द्वारा प्रारम्भिक लेखे का प्रेषण संतोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण कार्यो एवं वन विभाग द्वारा लेखे की प्रस्तुति में सुधार होना चाहिए।

7.6 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 2016 के नियम 261 के तहत सक्षम स्वीकृति अधिकारी के प्राधिकारी अधीन स्वीकृत राशि को छोड़कर सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान, अंशदान इत्यादि की राशि को कोषागार में संवितरित नहीं किया जा सकेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में आहरित राशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृत्यादेश निर्गत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान की उपयोगिता पर आश्वासन नहीं प्रदान किया जा सकता। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है :-

उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सारणी :-

वर्ष *	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक	38,275	1,02,173
2022-23	5,194	13,980
योग	43,469	1,16,153

* उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक निकासी के 12 माह के पश्चात्। इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

7.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि एक विशिष्ट अवधि के दरम्यान सभी मामलों में उप-वाउचरों द्वारा समर्थित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें। वर्तमान में वर्ष 2000-01 से 2022-23 (31-03-2023 की स्थिति) तक ₹ 6,115 करोड़ की राशि का 18,215 विस्तृत आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि का आहरण संवितरण को प्रतिविम्बित करता है किन्तु किए गए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए.सी.) की सारणी

वर्ष	लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (डी.सी.) की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक	18,071	5,838
2022-23	144	277
योग	18,215	6,115

7.8 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर कुल ₹ 16,848.77 करोड़ का व्यय किया गया।

7.9 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमावली का शर्त है कि व्यय की तीव्रता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में यदि हो, तो वह वित्तीय नियमितता के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है, जिसे टाला जाना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2023 के दौरान चयनित निश्चित लेखा शीर्षों के उन्तर्गत किए गए व्यय, जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है।

वर्ष 2022-23 के चार तिमाही के दौरान नीचे उल्लेखित शीर्षों में व्यय का प्रवाह निम्नवत् था :-

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2022-23 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2023 की प्रतिशतता
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0	0	0	42.60	42.60	42.60	100.00
4416	कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	0	0	0	0.68	0.68	0.68	100.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0	0	0	1.25	1.25	1.25	100.00
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	0	0	0	456.15	456.15	456.15	96.99
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	18.37	14.47	16.04	441.79	492.66	432.61	87.81
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	0.37	49.39	2.97	320.23	372.95	313.86	84.16
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.09	1.49	13.45	1.03	12.45	82.83
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	0	0.18	3.82	74.14	78.13	63.82	81.68
2425	सहकारिता	15.11	17.32	49.51	401.78	483.73	394.26	81.50
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.30	17.32	49.51	401.78	483.73	394.26	81.50
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	68.02	90.09	34.37	655.86	848.34	584.61	68.91
4405	मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.99	15.73	16.72	11.16	66.73
3452	पर्यटन	0.46	2.47	5.62	55.97	64.53	42.97	66.59
2216	आवास	0.00	2.44	2.82	13.84	19.10	11.41	59.76
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	9.09	16.04	25.13	14.82	59.00
3053	नागर विमानन	1.06	2.09	-1.93	5.83	7.06	3.96	56.17
2217	शहरी विकास	40.56	351.78	257.48	1295.31	1495.13	1087.50	55.91
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	54.66	170.34	496.67	721.66	383.89	53.20
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	54.66	170.34	496.67	18.36	9.74	53.03
2401	फसल कृषि-कर्म	20.84	44.53	174.37	669.43	909.17	472.91	52.02
2852	उद्योग	1.91	11.94	59.61	112.04	185.51	94.23	50.80

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/jharkhand/en>